संख्या- 20 / 2024 / आई/ 749238 / 001-23-7-2024-23-7005-28-2023

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता बजट (क) वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2024

विषय- आर्बीट्रेशन वाद सं0-78/2018 त्रिभुवन नरायन सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नियुक्त मा0 एकल मध्यस्थ द्वारा दिनांक 04.04.2020 को पारित एवार्ड के क्रम में भुगतान हेतु धनराशि का आवंटन डिक्रीटल मद से किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), बजट (क) वर्ग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-1792बी0जी0/209बी0(65)/2023-24, दिनांक 08.07.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, आर्बीट्रेशन वाद सं0-78/2018 त्रिभुवन नरायन सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नियुक्त मा0 एकल मध्यस्थ द्वारा दिनांक 04.04.2020 को पारित एवार्ड के क्रम में धनराशि रू0 3,04,47,000.00 (रूपये तीन करोड़ चार लाख सैतालीस हजार मात्र) का आवंटन डिक्रीटल मद से किये जाने की एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, गाजीपुर द्वारा अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,04,47,000 (रुपये तीन करोड़ चार लाख सैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

संख्या- 20 /2024/ आई/ 749238 /001-23-7-2024-23-7005-28-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, गाजीपुर।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गाजीपुर।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
8- अधीक्षण अभियन्ता, जौनपुर-गाजीपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, जौनपुर।
9- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड--1, लोक निर्माण विभाग, गाजीपुर।
10-वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।